विचार बिन्दु

जब पैसा बोलता है तब सत्य मौन रहता है। –कहावत

राज किसका– कानून का या माफिया का?

गत दिनों हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस उप अधीक्षक जब अवैध खनन रोकने के लिए गए तो उन्हें डंपर के नीचे कुचल दिया गया। गुजरात और झारखंड में भी इसी प्रकार अवैध खनन पर कार्यवाही करने गए पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इन नृशंस घटनाओं के बाद, अवैध खनन का विषय एक बार पुन: देश में चर्चा में है।

राजस्थान की अरावली पहाड़ियां और यहां की नदियाँ भी उन प्रमुख स्थानों में सम्मिलित हैं जो अवैध खनन के केंद्र रहे हैं। सर्व विदित है कि अवैध खनन जिस पैमाने पर हो रहा है, वह किसी व्यक्ति के स्तर पर सम्भव नहीं है, अपितु यह एक संगठित गिरोह है जो अरावली की पहाड़ियों को काट रहा है एवं नदियों के तट से बजरी निकाल कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है। यह गिरोह एक माफिया की तरह काम करता है एवं इससे अकूत काला धन सृजित होता है। उच्चतम न्यायालय के कई आदेश भी अब तक अवैध खनन को रोकने में सफल नहीं हो पाए हैं।

सामान्यतया, खनिज विभाग और पुलिस अधिकारियों की खनन माफिया से मिलीभगत के कारण यह कार्य निर्बाध रूप से चलता रहता है। दिखाने के लिए कभी–कभार कुछ प्रकरणों में कार्यवाही कर जुर्माना लगा दिया जाता है। जिस प्रकार की बड़ी धनराशि अवैध खनन से उत्पन्न होती है वह राज्य के विभिन्न स्तरों तक पहुंचती हो, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस बंदरबांट में नेतागण, पुलिस विभाग और खनन विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं। किसी समय माना जाता था कि खनन माफिया समानांतर सरकार की तरह है किन्तु अब तो ऐसा लगता है ये समानांतर नहीं अपितु असली सरकार ही है। सारे कानून, नियम तक बनाने में इनका प्रभाव काम करता है। नियम इस तरह के बनाए जाते है कि माफिया के काम में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

माफिया केवल खनन के क्षेत्र में ही नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी गत कुछ सालों में माफिया पनपा है जैसे भू–माफिया, परिवहन माफिया, शराब माफिया और कोचिंग माफिया। आइए देखें, ये कैसे काम करते हैं और राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया पर इनका कितना प्रभाव है।

परिवहन माफिया का अर्थ है, बिना अधिकृत परमिट के यात्री एवं माल परिवहन का कार्य करना। राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को लाने, ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के परमिट जारी किए जाते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कभी एक राज्य, कुछ राज्यों के समूह अथवा अखिल भारतीय स्तर का होता है। जितने भी वीडियो कोच राजस्थान में चल रहे हैं, उन सब के लिए परमिट केवल पर्यटन वाहन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जारी किया जाता है। ये अवैध रूप से, एक स्थान से गंतव्य तक जाने के बीच में जो शहर होते हैं उनके भी यात्रियों को बिठाकर उनसे पैसा वसूल करते रहे हैं। जितने ट्रिप के लिए परमिट जारी किए जाते हैं, उनसे कहीं अधिक यह वीडियो कोच कर लेते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन के लिए भी वीडियो कोच को सुरक्षित साधन माना जाता है। यात्री वाहनों के नाम परमिट जारी करा कर उनमें माल परिवहन का कार्य भी धड़ल्ले से किया जाता है। विभिन्न प्रकार का व्यावसायिक परिवहन, निजी वाहन रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी हो रहा है।

जीएसटी की चोरी और अवैध परिवहन का चोली दामन का साथ है। यदि अवैध माल परिवहन पर कार्रवाई की जाएगी तो स्वत: जीएसटी की चोरी भी पकड़ में आ जाएगी। सामान्यतया निजी बसों को परमिट उन्हीं मार्गों के लिए दिये जाते हैं जो छोटे शहरों, गावों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलाई जाती हैं। होता यह है कि परमिट तो अपेक्षाकृत छोटे स्थानों को जोड़ने के नाम से लिया जाता है किंतु वास्तव में उन पर न चलकर मुख्य मार्गों पर ही निजी बसें चलती हैं। इससे जहां दूरस्थ छोटे शहर और गांव बस सेवा से वंचित रहते हैं, वहीं रोडवेज को राजस्व की हानि होती है।

गत कुछ वर्षों से कोचिंग माफिया बहुत तेजी से पनपा है। ऐसा लगता है जैसे नौकरी या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कोचिंग किए बिना सम्भव ही नहीं है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने और सामूहिक नकल कराने में कोचिंग माफिया की बड़ी भूमिका है।

अवैध बस संचालकों का कितना दबदबा है, यह इसी से स्पष्ट है कि अधिकांश वीडियो कोच रोडवेज के बस स्टैंड के आसपास से चलते हैं। कई जगह ये मुख्य मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे दृश्य प्रतिदिन पुलिस एवं प्रशासन की नाक के नीचे दिखाई देते हैं, किंतु माफिया यथावत जारी है। इसी प्रकार निजी जीप में प्रतिदिन जयपुर के आसपास के मार्गों पर यात्रियों को ठूंस कर ले जाते हुए देखा जा सकता है। अधिक संख्या में यात्रियों को बिठाने और तीव्र गति से चलने के कारण जयपुर के आसपास के मुख्य मार्गों पर दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक हुई हैं। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस प्रकार की यात्रा करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं अधिक होते हैं जिनकी पोस्टिंग 50–100 कि मी की दूरी पर होती है।

शराब माफिया तो सबसे पुराने माफियाओं में से एक है। शराब की दुकानें खोलने के लिए समय निर्धारित है और विद्यालय तथा धार्मिक स्थलों के आसपास इन्हें नहीं खोला जा सकता है। इसके बावजूद शहरों में अनेक स्थानों पर विद्यालयों अथवा धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों को देखा जा सकता है। इसी प्रकार शराब की दुकान खुलने का समय नियत है किंतु देर रात तक उन्हें खोलकर वहां से आपूर्ति होते हुए हम प्रतिदिन देखते हैं। शायद आबकारी विभाग को अथवा पुलिस को यह नहीं दिखाई देता। सरकारी विभाग सामान्यतया कार्रवाई करने के लिए पैसे लेते हैं किंतु यहां, कोई कार्यवाही न करने के लिए बड़ी रकम वसूल की जाती है। शराब की दुकानों की नीलामी का सिस्टम बदल गया हो किंतु उससे शराब माफिया के प्रभाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। इनके द्वारा राजनीतिक दलों को मोटी रकम उपलब्ध कराई जाती रही है और इसी सहायता के बदले में माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लगातार होता रहता है। इसके कारण समाज में अराजकता ही क्यों ना फैले, किसी को कोई चिंता नहीं है।

माफियाओं की श्रेणी में अगला नंबर भू–माफिया का है। विभिन्न स्थानों पर राजकीय भूमि पर कब्जा करना इसका प्रमुख कार्य है। जिस भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं जता रहा हो, उस भूमि को अपने गुंडों के माध्यम से कब्जा कर लेना तथा उसे अवैध तरीके से बेच देना माफियाओं का काम रहा है। प्रतिबंधित स्थानों पर भूमि का क्रय–विक्रय करना माफियाओं की गतिविधियों में प्रमुख स्थान रखता है। जिन भूमियों के बारे में नगर परिषदों, नगर विकास न्यास, नगर विकास प्राधिकरणों, नगर निगम तक को पता नहीं होता है, उनकी जानकारी भू माफियाओं के 'कार्यकर्ता' अपने पास रखते हैं और ये लोग राजकीय भूमि को बेच कर करोड़ों रुपए अपने लिए बना लेते हैं। इस अवैध धन राशि में बड़ा हिस्सा नेताओं को भी संरक्षण प्रदान करने हेतु मिलना स्वाभाविक है। भू माफिया का बड़ा काम कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाना है। नदी नालों तक की भूमि को इन्होंने नहीं छोड़ा। रामगढ बाँध क्षेत्र में माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कार्यों से रामगढ़ बाँध ही सूख गया और जयपुर को पेय जल के मुख्य स्त्रोत से ही वंचित होना पड़ा।

जिस भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही चल रही हो, उसी को बेच दिया जाता है और एक बार जब कॉलोनी बस जाती है उसके बाद यह माफिया दूर हो जाते हैं। कभी कोई कार्यवाही उनके अतिक्रमण हटाने की होती भी है तो उसका खामियाजा उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने इनमें प्लॉट खरीदे हों। अधिकांश कच्ची बस्तियां किसी न किसी राजनीतिज्ञ के संरक्षण में पनपती हैं। एक तरह से ये नेता गण, संरक्षण राशि नियमित रूप से वसूल करते हैं और उनका काम होता है अतिक्रमण को हटाने से बचाना। इससे जहां नगर नियोजन कहीं धरा रह जाता है, वही पूरी प्रक्रिया में माफियाओं के सरगना करोड़ों के वारे–न्यारे कर लेते हैं।

गत कुछ वर्षों से कोचिंग माफिया बहुत तेजी से पनपा है। ऐसा लगता है जैसे नौकरी या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कोचिंग किए बिना सम्भव ही नहीं है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने और सामूहिक नकल कराने में कोचिंग माफिया की बड़ी भूमिका है। किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ कॉलेज में प्रवेश के लिए बोर्ड परीक्षा के अंकों का कोई महत्व नहीं है। जब भी बारहवीं के अंकों को महत्व देने की बात उठती भी है तो वह कोचिंग माफिया के अत्यधिक दबाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके कारण विद्यालय तो एक प्रकार से महत्वहीन हो गए हैं। यह स्थिति बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से कतई अच्छी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के माफियाओं का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और कानून का राज लगभग समाप्त ही होता जा रहा है। इस स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया तो सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पता नहीं कितनी और कीमत चुकानी पड़ेगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अदालतों में मुकदमों के अंबार को कम करने पर हो मंथन

लाख प्रयासों के बावजूद देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश की अदालतों में सात करोड़ से अधिक मुकदमें लंबित है। इनमें से करीब 87 फीसदी मुकदमे देश की निचली अदालतों में लंबित है तो करीब 12 फीसदी मुकदमें राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत में एक प्रतिशत मुकदमें लंबित है। पिछले दिनों जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायालयीय प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करने वाले वकीलों की फीस को लेकार अच्छी खासी चर्चा हुई जो मीडिया की शुर्खियां भी बनी। वहीं अगस्त में कार्य भार संभालने वाले नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित द्वारा अदालत में सुबह साढ़े नौ बजे सुनवाई आरंभ करने की पहल पर भी वाद–विवाद का दौर जारी है। उधर सरकार ने मानसून सत्र में कुछ बदलावों के साथ मध्यस्थता विधेयक लाने का संकेत दिया है ।

सवाल यह है कि मुकदमों के इस अंबार को कम करने के लिए कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे अदालतों का भार भी कम हो न्यायिक प्रक्रिया लंबी भी ना चले, लोगों को समय पर न्याय भी मिलें। पिछले पांच साल में ही देश में लंबित मुकदमों की संख्या चार करोड़ से बढ़कर आज सात करोड़ हो चुकी है। हांलाकि लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों में कमी लाने की सार्थक पहल अवश्य की गई है पर लोक अदालतों में लाखों प्रकरणों के निबटने के बावजूद हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

दरअसल लाखों की संख्या में इस तरह के मुकदमे हैं जिन्हें निपटाने के लिए कोई सर्वमान्य समाधान खोजा जा सकता है। मुकदमों की प्रकृति के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाए और फिर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उन्हें निपटाने की कार्ययोजना बने तो समाधान कुछ हद तक संभव है। यातायात नियमों को तोड़ने वाले मुकदमों की ऑनलाइन निपटान की कोई व्यवस्था हो जाए तो अधिक कारगर हो सकती है। इसी तरह से चैक बाउंस होने के लाखों की संख्या में मुकदमे हैं जिन्हें एक या दो सुनवाई में ही निस्तारित किया जा सकता है। मामूली कहासुनी के मुकदमे जिसमें शांति भंग के प्रकरण शामिल है उन्हें भी तारीख दर तारीख के स्थान पर एक ही तारीख में निपटा दिया जाए तो हल संभव है। इसी तरह से राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर दर्ज होने वाले मुकदमों के निस्तारण की भी कोई कार्ययोजना बन जाए तो उचित हो।

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देश में सबसे ज्यादा मुकदमे रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं । गांवों में जमीन के बंटवारे या सीमा निर्धारण को लेकर देश की निचली अदालतों में अंबार लगा हुआ है। इस तरह के मुकदमों के निपटारें में ग्राम पंचायत की कहीं कोई भूमिका तय हो तो शायद कोई स्थाई समाधान संभव हो सकता है। पंच परमेश्वर की अवधारणा कहीं इस तरह के मुकदमों के निपटारें में अधिक सहायक हो सकती है। स्थानीय स्तर पर समझाईस से इस तरह के मुकदमों पर शीघ्र निर्णय की एक संभावना बनती है। हो यह रहा है कि रेवेन्यू के मुकदमें अपील दर अपील पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और मामूली सा सीमा विवाद लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर रह जाता है। मीडिया ट्रॉयल पर भी अंकुश की आवश्यकता है क्योंकि इससे कुछ हद तक निर्णय प्रभावित होने की संभावना बनती है।

हांलाकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश की अदालतों में ब्रिटेन आदि की अदालतों से कई गुणा अधिक मुकदमों की सुनवाई एक दिन में होती है। केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजूजू की माने तो इंग्लैण्ड में एक न्यायाधीश एक दिन में तीन से चार मामलों में निर्णय देते हैं जबकि हमारे देश में प्रत्येक न्यायाधीश औसतन प्रतिदिन 40 से 50 मामलों में सुनवाई करते हैं। यह इस ओर भी इंगित करता है कि हमारे देश में न्यायाधीशों के पास कार्यभार अधिक है।

पिछले कुछ समय से जिस तरह से पीएलआई को लेकर माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है इसके भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे है। इसी तरह से कोर्ट में केस दायर होने पर गवाह या याचिकाकर्ता के होस्टाइल होने को भी जिस तरह से अदालतों द्वारा गंभीरता से लिया जाने लगा है उसके भी परिणाम आने वाले समय में और ज्यादा सकारात्मक होंगे। न्यायालयों की मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले मामलों में वादी–प्रतिवादी द्वारा गंभीरता नहीं दिखाने से भी हालात अधिक सुधरे नहीं है। दरअसल मध्यस्थता से होने वाले निर्णय की पालना को लेकर अभी भी लोग संदेह में ही रहते हैं कि पालना होगी भी या नहीं। या फिर पालना के लिए वापिस अदालतों के चक्कर लगाने होंगे। हांलाकि केन्द्र सरकार अब मध्यस्थता कानून में इसी मानसून सत्र में आवश्यक संसोधित प्रावधानों के साथ पारित कराने के लिए गंभीर लगती है।देखा जाए तो अदालतों की सामान्य प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास है। चारों तरफ से निराश और हताश व्यक्ति न्याय के लिए न्याय का दरवाजा खटखटाता है। ऐसे में गैरसरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे लोगों में अवेयरनेस लाएं और अदालत से बाहर निपटने वाले मामलों को बाहर ही निपटा लें। इसके लिए पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, वरिष्ठ वकीलों व गैरसरकारी संगठनों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जा सकती है जो इस तरह के मामलों को समझाईश से सुलझा सके। जिससे न्यायालयों का समय भी बचे और वादी प्रतिवादी का धन और समय बचने के साथ ही सौहार्द भी बना रह सके।

–डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

निर्मम निरोध

पति–पत्नि दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त। दोनों मध्यवर्गीय सामान्य लेकिन संभ्रात परिवारों से। दोनों को कैम्पस सलेक्शन से ही अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छा पे पेकेज। दोनों महत्वाकांक्षी, केरियर कॉंशस। प्रतिस्पर्धा के लिए जागरूक, जुझारू। पति–पत्नि के बीच अच्छा तालमेल, अच्छी समझ और अच्छे सम्बंध। परिवार नियोजन के प्रति सावचेत। बच्चा तभी जब चाहें। पिछले पांच साल से निरोध का नियमित, बेनागा प्रयोग। महिला तीस वर्ष की हुई तो सोचा, अब 'चांस' लिया जाय।

महिला गर्भवती हुई। शहर की नामी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया। परीक्षण हुए, सब सामान्य। प्रसव पूर्व नियमित चैक अप। सात महिने तक सब सामान्य चला। महिला और विशेषज्ञ दोनों आश्वस्त। महिला ने इन्टरनेट पर और किताबें खरीद कर गर्भ और प्रसव के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। आवश्यक प्रबन्ध भी कर लिए थे। आशा, आशंका भरे दिन। तभी महिला को सिर दर्द रहने लगा। पेट के ऊपरी भाग में तेज दर्द भी। दिखाया। रक्तचाप बढ़ा हुआ था। मूत्र परीक्षण पर प्रोटीन्यूरिया पाया गया। टखने, पानी जमा होने से फूल गये थे। डॉक्टर ने बताया, उसे प्री–एक्लेम्पसिया हो गया है। सब तो सामान्य चल रहा था, यह हठात क्या हो गया? क्यों हो गया? वह तो सर्वथा डॉक्टर के निर्देशों के अनुरूप ही चल रही थी, फिर यह क्यों हो गया?

डॉक्टर ने बताया, यह 10 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में हो जाता है बढ़े हुए रक्तचाप पर नियंत्रण से आशा है सब सामान्य हो जायगा। जब महिला ने जानना चाहा कि यह क्यों हो जाता है तो डॉक्टर ने बताया कि जिन महिलाओं का प्रतिरक्षा संस्थान गर्भस्थ शिशु के पितृ (पिता से आये) जीन्स के प्रति सर्वथा संवेदनशील नहीं हो पाता, उनमें ऐसा होता है। मां का रक्षा संस्थान शिशु के पितृ जीन्स के प्रति असंवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। महिला ने जब यह जानना चाहा कि इससे क्या खतरे हो सकते हैं तो विशेषज्ञ ने सावचेत करने और समझाने के लिए बताया कि इससे शिशु के विकास में बाधा पड सकती है, शिशु का मस्तिष्क विकास प्रभावित हो सकता है, समय पूर्व प्रसव (प्रीमेच्योर बर्थ) होने की संभावना रहती है। साथ ही यह भी बताया कि शिशु के विषम जीन तत्वों की प्रतिक्रिया में माँ की रक्तवाहिनियां क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, जिससे मां के गुर्दे और लिवर क्षतिग्रस्त होते हैं। उन्होने यह भी बताया कि अधिकांश महिलाओं में प्री–एक्लेम्पसिया के रक्तचाप पर काबू कर सफल प्रसव संभव होता है। लेकिन कुछ में माँ का रक्षा संस्थान बेकाबू और उग्र हो जाता है। लिवर की गंभीर क्षति से घातक

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

स्थिति बन जाती है या प्री–एक्लेम्पसिया पूर्ण–एक्लेम्पसिया का रूप ले लेता है, जिसमें घातक ताण आते हैं और इन सब का प्रमुख कारण होता है मां का असहिष्णु रक्षा संस्थान। ऐसे में पहले प्रसव करा कर गर्भ समापन करना होता है।

माँ का रक्षा संस्थान? शिशु का रक्षा संस्थान? शिशु में पितृ जीन्स? पितृ जीन्स के प्रति माता की प्रतिक्रिया? रक्षा संस्थान की संवेदशीलता, असंवेदनशीलता और उग्र प्रक्रिया? महिला को कुछ समझ में नहीं आया। माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच यह कैसा संघर्ष? महिला चिन्तातुर हो गई। मन शंका से भर गया। विश्वास डोल गया। नियमित रूप से दिखा रही थी। टेस्ट करवाये, तीन बार सोनोग्राफी कराई। फिर क्यों? क्या यह सब पैसे के लालच में दिखावा मात्र था? ठीक से देखा नहीं? इतनी वरिष्ठ डॉक्टर हैं अगर ठीक से देखा होता तो क्या पता नहीं लगता? कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए तो यह न समझ में आने वाली गूढ बातें नहीं कर रही? निश्चय किया, वह इस बारे में पूरी जानकारी लेगी, इसकी तह तक जायेगी।

घर आकर प्री–एक्लेम्पसिया के बारे में विस्तार से पढ़ा।

शारीरिक स्वायत्तता (ऑटोनोमी) की रक्षा करना, अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए आवश्यक है। इसकी सुरक्षा के लिए स्वत: विकसित रक्षा संस्थान जीन (आनुवांशिक गुण सूत्र) आधारित होता है। यह रक्षा संस्थान स्वायत्तता के लिए शरीर की जीन संरचना को पहचानता है, उसे आत्मसात करता है। शरीर का रक्षा संस्थान इसे पहचानता है और इसकी रक्षा करने को प्रतिबद्ध, अपना प्रतिरक्षा संस्थान विकसित करता है। स्वयं की जीन संरचना से इतर अन्य कोई भी जीन संरचना के तत्व को प्रतिरक्षा संस्थान शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। और अगर किसी तरह प्रवेश कर भी जाए तो उन्हें नष्ट कर बाहर फेंक देता है। इस प्रतिरक्षा प्रक्रिया को इम्यूनिटी कहते हैं।

अगर किसी के शरीर में उसके जीन से इतर जीन का प्रवेश करवाना हो तो पहले उसके प्रतिरक्षा संस्थान को मनाना

- **नियमित निरोध युक्त समागम करने वाली महिलाओं में प्री-एक्लेम्पसिया अधिक होता है**

होता है, उसका शमन करना होता है, उसे प्रभावित कर अपने पक्ष में करना होता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। भ्रूण के आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। ये विषम गुणसूत्र माता के रक्षा संस्थान को सहज स्वीकार नहीं होते। आवश्यक है कि भ्रूण के आगमन से पहले माता के रक्षा संस्थान को इनके प्रति जागरूक, संवेदनशील और अनुकूल बनाया जाय।

अनुसंधान से उजागर हुआ है कि वीर्य में 93 ऐसे तत्व चिह्नित हुए हैं जो माँ के रक्षा संस्थान को पितृ जीन्स के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। योनि से अवशोषित हो कर ये तत्व इम्यून मोड्यूलेशन का कार्य करते हैं। एक ही पुरुष से दीर्घ कालिक समागम करने वाली महिलाओं में प्री–एक्लेम्पसिया बहुत कम होता है। यह भी पाया गया कि नियमित निरोध (कंडोम) युक्त समागम करने वाली महिलाओं में यह अधिक होता है। अनुसंधान से पाया गया है कि बच्चे के विषम जीन्स के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में बिना कंडोम के सामान्य समागम की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैविक प्रयोग पर इसकी पुष्टि हुई है। जिन महिलाओं में बार–बार स्वत: गर्भपात या प्री–एक्लेम्पसिया होता है उन्हे 'टी जी एफ–बीटा' नामक वीर्य में चिह्नित इम्यून मोड्यूलेटर फेक्टर देने से लाभ होता है। जिन पुरुषों के वीर्य में इस फेक्टर की कमी होती है, उनसे गर्भ धारण करने वाली महिलाओं में गर्भ क्षरण व प्री–एक्लेम्पसिया अधिक होता है।

पढ़ने पर सब शंकायें निर्मूल निकलीं। वह व्यर्थ ही डॉक्टर पर शक कर रही थी। जान कर आश्चर्य हुआ कि निरोध के नियमित प्रयोग से ऐसा हो सकता है। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ भी करने की कीमत चुकानी होती है। आधुनिक जीवन की प्रवृतियों और प्रकृति के बीच समन्वय आज की चुनौति है। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जाने बिना ऐसा समन्वय बिठाना संभव नहीं।

स्त्रीत्व की चरमावस्था, चरमोत्कर्ष मातृत्व आधारित प्रजनन होता है। यह प्रकृति नियत है; सनातन, सार्वभौम, शाश्वत। मातृत्व में ही स्त्री की मुक्ति है। और बिना स्व को त्यागे मुक्ति नहीं मिलती। प्रकृति नियत मातृत्व में मुक्ति और समाज नियत मातृत्व से मुक्ति के बीच समन्वय ही आज की स्त्री का जीवन संकट है, त्रासदी भी।

–डॉ. श्रीगोपाल काबरा,
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

स्कूल के पोषाहार भंडारण में बड़ी मात्रा में मिले इल्ली और कीड़े

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका ने पोषाहार में कीड़े मिलने पर संस्था प्रदान को लताड लगाई

- **प्राथमिक विद्यालय लांबी जोहड़ी में अव्यवस्थाओं का आलम देख दंग रह गए डीईओ**
- **लापरवाही पर जांच शुरू, पोषाहार प्रभारी शिक्षिका का एक दिन का वेतन काटा**
- **कैशबुक पर भी मार्च के बाद से विद्यालय विकास प्रबंधन समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं मिले**

झुंझुनूं, (निसं)। नवलगढ़ ब्लॉक के गांव बुगाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लांबी जोहड़ी में मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका के पोषाहार निरीक्षण के दौरान भंडारण देखा तो दंग रह गए। चावलों में बड़ी मात्रा में मिली इल्लियां और कीड़ों को देख डीईओ मनोज कुमार ढाका ने झल्लाते हुए संस्था प्रधान और पोषाहार प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। यहां तक की कैशबुक पर भी मार्च के बाद से विद्यालय विकास प्रबंधन समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं मिले।

जिस पर डीईओ ने एक्शन लेते हुए प्रधानाध्यापक चंदगीराम और पोषाहार प्रभारी शिक्षिका के एक दिन के वेतन कटौती के साथ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए। डीईओ मनोज कुमार ढाका ने बताया कि मिड–डे–मील आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार लांबी जोहड़ी स्कूल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। जिसमें शाला दर्पण पोर्टल रिकॉर्ड, बंद पड़े एबीएल कीट को खोलने, गरिमा पेटी लगाने की भी नसीहत दी। इधर इस मामले की जांच हेतु डीईओ ने बुगाला पीईईओ को सात दिवस के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

पोषाहार में साफ–सफाई के निर्देश दिए: –इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका ने बुगाला के सिरस जोहड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। जिसमें पंचायत समिति सदस्य ओमप्रकाश बुगालिया समेत अन्य ग्रामीणों से वार्ता कर नामांकन बढ़ाने के रूप में प्रेरित किया। तथा स्टाफ को पोषाहार संबंधी साफ–सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और बीएड प्रशिक्षणार्थियों से अध्यापन कार्य करवाने की बजाए उन्हें सीखाने की बात कहीं। डीईओ ढाका ने बताया कि पोषाहार संबंधी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक उम्मेदसिंह महला भी साथ में मौजूद रहे।

मामले में झुंझुनूं डीईओ एलिमेंट्री मनोज कुमार ढाका ने बताया कि लांबी जोहड़ी स्कूल में निरीक्षण के दौरान पोषाहार संबंधी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पोषाहार में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

वहीं झुंझुनूं एडीईओ एलिमेंट्री उम्मेदसिंह महला ने कहा कि सभी स्कूल स्टाफ पोषाहार की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। अन्यथा संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 27 जुलाई, 2022

सावन मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, पुनर्वसु नक्षत्र गुरूवार प्रात: 7:05 तक, हर्षण योग सांय 5:06 तक, विष्टि करण प्रात: 8:00 तक, चन्द्रमा रात्रि 12:22 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–कर्क, चन्द्रमा–मिथुन, मंगल–मेष, बुध–कर्क, गुरू–मीन, शुक्र–मिथुन, शनि–मकर, राहु–मेष, केतु–तुला राशि में।

आज भद्रा प्रात: 8:00 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ–अमृत सूर्योदय से 9:13 तक, शुभ 10:53 से 12:33 तक, चर 3:54 से 5:34 तक, लाभ 5:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:52, सूर्यास्त 7:14

मेष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों से आवश्यक सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क

व्यक्तिगत परेशानियों कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनावश्यक धन खर्च होगा। धन हानि का भय बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्त्रोत सामने आयेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो सकती है।

वृश्चिक

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में व्यवधान हो सकता है। शुभ कार्यों को टालना पड़ सकता है। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु

परिवार में प्रसन्नता–हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक प्रयासों में सार्थक/उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्त हो सकता है।

मीन

घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।